प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.03.2026

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के संगठन का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक मोबाइल फोन व प्रतिबन्धित संगठनो के वीडियो/ लिंक आदि बरामद।

आज दिनांक 12.03.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा नाहल झाल पर चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली की ग्राम नाहल में एक व्यक्ति जिसका नाम सावेज पुत्र अब्दुल कादिर जो गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रतिबन्धित संगठनों की वीडियो व लिंक देखकर व अपने साथियों को दिखाकर राष्ट्र के विरुद्ध क्रिया कलापो में संलिप्त होकर कार्य कर रहा है जिसकी मानसिकता अपराधिक प्रवृत्ति के साथ–साथ देश की एकता व अखण्डता को प्रभावित करने वाली है। इस सूचना पर विश्वास करके प्राप्त सूचना की गोपनीय रुप एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर सही पाये जाने पर चौकी प्रभारी नाहल द्वारा अपनी टीम के साथ संगठन में संलिप्त 1. सावेज पुत्र अब्दुल कदीर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को ग्राम नाहल के पास से गिरफ्तार किया गया एवं उक्त प्रकरण में तत्काल थाना मसूरी पर मु0अ0सं0- 77/2026 धारा 152/196/61(2) बीएनएस व धारा 18/38/39 (यूएपीए एक्ट) बनाम 1- सावेज उर्फ जिहादी पुत्र अब्दुल कदीर 2- जुनैद पुत्र सलीम 3- फरदीन पुत्र मुनसफ 4- इकराम अली पुत्र इन्साद अली 5- मौहम्मद जावेद पुत्र मौहम्मद अख्लाख 6- फजरू पुत्र दफेदार समस्त निवासीगण ग्राम नाहल व अन्य लोग के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन करते हुये अभियुक्तो की सुरागरसी पतारसी की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य अभियुक्त गण 2.जुनैद पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 3.फरदीन पुत्र मुनसफ निवासी उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष 4.इकराम अली पुत्र इन्शाद अली निवासी उपरोक्त उम्र करीब 36 वर्ष 5.फजरू पुत्र दफेदार निवासी उपरोक्त उम्र करीब 48 वर्ष 6.मो0 जावेद पुत्र मो0 अखलाख निवासी उपरोक्त उम्र करीब 45 वर्ष को नाहल से मसूरी आने वाले रास्ते में मुबारिकपुर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान साक्ष्य मिले कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित इकराम अली की मां साहिदा मूल रूप से बांग्लादेश की निवासी है तथा इकराम अली के पिता ने इससे शादी कर ली थी। उक्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में इकराम अली की मां साहिदा का नाम प्रकाश में आया तथा साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 420/467/468/471 की बढ़ोतरी की गयी। अन्य सभी अभियुक्तों से पूछताछ करने पर विवरण निम्नवत् है –

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्त सावेज उर्फ जिहादी 2. जुनैद 3. फरदीन 4. इकराम अली 5.फजरू 6. जावेद ने पूछने पर सभी ने एक दूसरे के बयान की पुष्टि करते हुये बताया कि हमारे ग्रुप का प्रमुख मेम्बर सावेज है। सावेज ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम सावेज है तथा मै इण्टर क्लास तक पढा हुआ हूँ तथा मै परचून की दुकान पर रहता हूँ पिछले कुछ समय से मै फेसबुक व इस्टाग्राम पर वीडियो देखता था जिसमे मेरे समुदाय के व्यक्तियों पर जुल्म व अत्याचार की घटनाएं दिखायी देती थी जिससे मेरी मानसिकता बदल गयी और मै जैश-ए-मौहम्मद प्रतिबन्धित संगठन व फरातुल्ला गौरी ग्रुप जो प्रतिबन्धित ग्रुप है उनको मै फॉलो व लाइक करता था और अपने साथ के 2.जुनैद 3. फरदीन 4. इकराम अली 5.फजरू 6. जावेद को भी इनके बारे में जानकारी देता था ये लोग भी इसे फॉलो करते थे तथा जैश-ए-मौहम्मद प्रतिबन्धित संगठनो द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसकी वीडियो भी देखते थे। उपरोक्त घटना में शामिल जावेद उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह आलिम (इण्टर) तक पढा हुआ है तथा ग्राम नाहल में करीब 6 वर्षो तक नाहल की मस्जिद में मौलाना का कार्य किया अब वर्तमान में कस्बा मसूरी में अजीजनगर कालोनी में निवास कर रहा है व मदरसा चला रहा हूँ तथा मै व अन्य सभी लोग मिलकर अपने समुदाय के प्रति हो रहे अत्याचार पर बातचीत करते थे तथा प्रतिबन्धित संगठनो की वीडियो देखते थे तथा अन्य सभी लोगो को अपने मजहब के प्रति हो रहे अत्याचार के प्रति जागरूक करने का कार्य करते थे। हम सभी की मानसिकता अन्य सभी सामाजिक व्यक्तियों से अलग हो चुकी थी। अभियुक्त इकराम ने पूछने पर बताया कि मै ग्राम नाहल का मूल निवासी हूँ तथा वर्तमान में वकालत का कार्य कर रहा हूँ तथा मै भी अपने उपरोक्त साथियो के साथ मिलकर राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापो मे शामिल रहता था। इसके अलावा अन्य अभियुक्त जुनैद ने बताया कि मैं एलएलबी में पढ रहा हूँ। मैं भी अपने साथियों से प्रभावित होकर इनके साथ देश विरोधी क्रिया कलापो में संलिप्त हो गया। इसके अलावा अभियुक्त फरदीन, फजरू ने भी पूछने पर अपने ग्रुप लीडर सावेज उर्फ जिहादी की बातों का सर्मथन करते हुये बताया कि साहब हम लोग मजदूरी का कार्य करते है। हम लोग सावेज की बातों से प्रेरित होकर अपने समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचार व जुल्म से निबटने के लिये सावेज के साथ जुड गये और जैश-ए-मौहम्मद आदि प्रतिबन्धित संगठनो के ट्रेनिंग की वीडियो देखने लगे और उससे प्रभावित होने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. सावेज पुत्र अब्दुल कदीर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
2.जुनैद पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष
3.फरदीन पुत्र मुनसफ निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
4.इकराम अली पुत्र इन्शाद अली निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष
5.फजरू पुत्र दफेदार निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष
6.मो0 जावेद पुत्र मो0 अखलाख निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरुद्ध देश विरोधी गतिविधियों में कार्य करने के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त सावेज उपरोक्त से एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी का बरामद जो उपरोक्त क्रिया कलापो में प्रयुक्त हुआ हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की सर्विलांस टीम व सभी थानों द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 555 मोबाइल (अनुमानित कीमत 01.50 करोड़ रुपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये।

सी ई आई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 555 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत करीब 01.50 करोड़ रुपये है, की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण-

1. थाना कोतवाली नगर- 153
2. थाना विजयनगर-91
3. थाना सिहानीगेट- 71
4. थाना नंदग्राम 65
5. थाना मधुबन बापुधाम -60
6. क्रॉसिंग रिपब्लिक-36
7. वेव सिटी-35
5. थाना कविनगर 33
6. थाना साइबर-11

कुल योग – 555

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा नकली नोटों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500-500 रुपये के 08 नकली नोट बरामद।

दिनांक 11.03.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र फरीदनगर से 500-500 रुपये के 08 नकली नोट के साथ अभियुक्त शोएब उर्फ गुल्ला पुत्र इकबाल निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धारा- 179/180 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मुझे एक राह चलते व्यक्ति ने कुछ असली रुपयो के बदले 04 हजार रुपये के नकली नोट देने का लालच दिया था और यह भी बोला था कि यह नकली नोट एकदम असली जैसे दिखाई देते है तुम पकडे नही जाओगे फिर मैंने उस व्यक्ति से ये 500-500 रुपये के 08 नकली नोट ले लिये थे, जिन्हे मैं बाजार में चलाने का प्रयास कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शोएब उर्फ गुल्ला पुत्र इकबाल निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

500-500 रुपये के 08 नकली नोट बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना मोदीनगर द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मोदीनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 307 भादवि में अभियुक्त शौकीन पुत्र नवाब निवासी जगतपुरी थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 12.03.2026 को धारा- 307 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को घर से ट्यूशन के लिये जाते समय पीछे से आकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 05.10.2023 को थाना मोदीनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री संजीव कुमार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0आ0 सोनिया** पैरोकार थाना मोदीनगर

थाना कविनगर द्वारा लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, एक अदद चैन का टुकड़ा (पीली धातु) तथा एक अदद तमंचा .315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद।

घटना का विवरण:-

दिनांक 04.02.2026 को वादी श्री जितेन्द्र सिंह s/o श्रीराम रतन सिंह एड चै0न0 215 -216 सिविल कोर्ट गाजियाबाद ने मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का मोबाइल झपट कर भाग जाने के संबंध में व दिनांक 02.03.2026 को वादिया श्रीमती द्रोपदी अग्रवाल पत्नी श्री जय किशन लाल अग्रवाल निवासी 2/197 चिंरजीव विहार गाजियाबाद ने मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के गले की चेन झपट कर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण:-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 12.03.2026 को अभियुक्त - राजा उर्फ जावेद पुत्र सरफराज उर्फ सर्फू निवासी आशी बैंड वाला पुल बुलंदशहर रोड हापुड नगर थाना कोतवाली जिला हापुड उम्र करीब 23 वर्ष को महागुनपुरम सोसाइटी के पीछे कच्चे रास्ते की तरफ चौकी क्षेत्र गोविन्दपुरम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त राजा उर्फ मोहम्मद जावेद ने पूछताछ में बताया कि सर मैने अपने साथी आजम पुत्र सफाउल्ला नि0 ग्राम अमरपुर थाना नरसेना जिला बुलंदशहर के साथ मिलकर दिनाक 02-03-2026 को दोपहर के समय यशोदा मेडिकल के पास चिरंजीव विहार कविनगर से एक बुजुर्ग महिला के गले की चैन को झपट्टा मारकर तोडा था तोडते समय चैन के दो टुकडे हो गए एक टुकडा मैने व आजम ने बेच दिया था और प्राप्त रुपये को खाने पीने व नशे मे खर्च कर दिया। मुझसे बरामद चैन का टुकडा दिनाक 02-03-2026 को बुजुर्ग महिला से छीनी गई चैन का शेष हिस्सा है जिसे मै बेचना चाहता था आज अपने वकील से मिलने जा रहा था। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभि0 ने बताया मैने अपने अन्य साथी अरबाज पुत्र रफीक नि0 ग्राम पलवाडा थाना बहादुरगढ जिला हापुड के साथ मिलकर दिनांक 04-02-2026 को सुबह करीब 10.00 बजे NH-9 हाइवे के किनारे तनुश्री सोसाइटी गेट के पास खडे मोबाइल पर बात करते हुए व्यक्ति से सैमसंग फोल्ड 5 मोबाइल फोन मैने छीना था और मोटरसाइकिल अरबाज चला रहा था फोन छीनकर मै भागा तो फोन छीनने वाले व्यक्ति ने पीछा किया जिसके पास आने पर मैने बरामद इसी तमंचे को दिखाकर डरा दिया था और फोन लेकर मोटरसाईकिल से हापुड भाग गए थे। फोन छीनते समय जो मोटरसाइकिल थी वह मैने व अरबाज ने भोपुरा से चोरी की थी जो अरबाज के पास थी तथा छीना सैमसंग फोल्ड 5 फोन भी अरबाज के पास था।इस घटना को करके भागते समय हम दोनो सीसीटीवी फुटेज मे आ गए थे पुलिस हमे तलाश कर रही थी इस लिए मै पकडे जाने के डर से इधर उधर छुप कर रह रहा था। अरबाज दिनाक 19-02-2026 से किसी मुकदमे मे डासना जेल मे बंद है।

बरामदगी-

एक अदद पीली धातू का टुकडा कुंडा सहित,
हीरो होंडा मॉडल स्पेलंडर + रंग काला बिना नं0 प्लेट बरामद
एक अदद तमंचा .315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त का नाम पता-

राजा उर्फ जावेद पुत्र सरफराज उर्फ सर्फू निवासी आशी बैंड वाला पुल बुलंदशहर रोड हापुड नगर थाना कोतवाली जिला हापुड उम्र करीब 23 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

1. **राजा उर्फ जावेद पुत्र सरफराज उर्फ सर्फू**
   - कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंग के 02 मुकदमा, जिल हापुड में स्नैचिंग व चोरी से सम्बन्धित 03 मुकदमें व आर्म्स एक्ट का 01 व गैंगस्टर एक्ट का 01।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद